संख्या-198/2018/2930/22-2-2017-17(781)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2018**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील माली पुत्र श्री शिवदास, निवासी जनपद-कानपुरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-40085/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम 17.11.2016) दिनांक 07.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील माली पुत्र श्री शिवदास, जो 556 फेथफुलगंज, थाना-रेलबाजार, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 09-06-1993 को सांय लगभग 05:30 बजे बन्दी ने विक्रम नामक लडके के साथ रेलवे लाइन के पास अप्राकृतिक मैथुन का प्रयास करते हुए मुंह दबा कर हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-573/93 में भा0द0वि0 की धारा-363, 377, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 05.07.1996 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 30-06-2017 तक 24 वर्ष 00 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 31 वर्ष 00 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 09-06-1993 को विक्रम नामक लडके के साथ रेलवे लाइन के पास अप्राकृतिक मैथुन का प्रसास करते हुए मुंह दबा कर निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की उम्र 50 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुनील माली पुत्र श्री शिवदास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुनील माली (बन्दी संख्या-12389) पुत्र श्री शिवदास, निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सैंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-198/2018/2930(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-198/2018/2930@22-2-2017-17(781)/2017
दिनांक 26 फरवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील माली पुत्र श्री शिवदास, जो 556-फेथफुलगंज, थाना-रेलबाजार, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 09-06-1993 को सांय लगभग 05:30 बजे बन्दी ने विक्रम नामक लडके के साथ रेलवे लाइन के पास अप्राकृतिक मैथुन का प्रयास करते हुए मुंह दबा कर हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-573/93 में भा0द0वि0 की धारा-363, 377, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुरनगर के आदेश दिनांक 05.07.1996 (पताका-x) द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 30-06-2017 तक 24 वर्ष 00 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 31 वर्ष 00 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 09-06-1993 को विक्रम नामक लडके के साथ रेलवे लाइन के पास अप्राकृतिक मैथुन का प्रसास करते हुए मुंह दबा कर निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की उम्र 50 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुनील माली पुत्र श्री शिवदास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in